

[To be published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section 3, Sub-section (ii)]

Government of India
Ministry of Finance
Department of Revenue
Central Board of Direct Taxes

Notification

New Delhi, the 23rd December, 2014

S.O _____ (E).- In exercise of the powers conferred by clause (46) of section 10 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government hereby notifies for the purposes of the said clause, the Bureau of Indian Standards set up by the Bureau of Indian Standards Act, 1986 (63 of 1986) in respect of the following specified income arising to that Bureau, namely:-


- (i) certification fee;
- (ii) sale of standards, provided there is no profit involved;
- (iii) income from interest;

2. This notification shall be deemed to have been applied for the assessment years 2012-13, 2013-14, 2014-15 and shall be applicable for the assessment years 2015-16 to 2016-17.

3. The notification shall be subject to the following conditions, that -

- (a) the Bureau of Indian Standards should not engage in any commercial activity;
- (b) the activities and the nature of the specified income of the Bureau of Indian Standards remain unchanged throughout the financial year ; and
- (c) the Bureau of Indian Standards files return of income in accordance with the provision of clause (g) of sub section (4C) section 139 of the said Act.

(Notification No. 88 /2014 (F.No.196/27/2012-ITA.1)



(Deepshikha Sharma)
Director to the Govt. of India

To

The Manager,
Government of India Press,
Ring Road, Mayapuri Industrial Press,
Near Rajouri Garden, New Delhi.

MS - Rekha

[भारत के राजपत्र के, असाधारण, भाग-II, खंड 3, उप-खंड (ii) में प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
राजस्व विभाग
(केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड)

नई दिल्ली, दिनांक 23 दिसम्बर, 2014

अधिसूचना

का.आ.....(अ) आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 10 के खंड (46) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्वारा भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम, 1986 (1986 का 63) द्वारा स्थापित भारतीय मानक ब्यूरो को उक्त ब्यूरो को उद्भूत होने वाली निम्नलिखित विनिर्दिष्ट आय के संबंध में उक्त खंड के प्रयोजनों के लिए अधिसूचित करती है, अर्थात:-

- (i) प्रमाणीकरण शुल्क;
- (ii) मानकों की बिक्री, बशर्ते कि कोई लाभ शामिल नहीं हो;
- (iii) ब्याज से आय

2. यह अधिसूचना निर्धारण वर्ष 2012-13, 2013-14, 2014-15 के लिए लागू की गई मानी जाएगी और 2015-16 से 2016-17 तक के निर्धारण वर्षों लिए लागू होगी।

3. यह अधिसूचना निम्नलिखित शर्तों के अधीन प्रभावी होगी; कि:-

- (क) भारतीय मानक ब्यूरो कोई वाणिज्यिक कार्यकलाप नहीं करेगा;
- (ख) भारतीय मानक ब्यूरो के कार्यकलाप और विनिर्दिष्ट आय का स्वरूप संपूर्ण वित्तीय वर्ष के दौरान अपरिवर्तनीय रहते हैं; और
- (ग) भारतीय मानक ब्यूरो अपनी आय की विवरणी उक्त अधिनियम की धारा 139 की उपधारा (4ग) के खंड (छ) के उपबंध के अनुसार दायर करता है।

[अधिसूचना संख्या४४...../2014 फा.सं. 196/27/2012-आयकर नि-।]

दीपशिखा

(दीपशिखा शर्मा)

निदेशक, भारत सरकार

सेवा में,

प्रबंधक,

भारत सरकार मुद्रणालय,

रिंग रोड, मायापुरी औद्योगिक क्षेत्र,

(राजौरी गार्डन के समीप), नई दिल्ली।